5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /15/रिव्यू

पुनर्विलोकन-0632/2019/ग्वालियर/भू.रा.

जयमाता दी इन्टर प्राइजेज द्वारा पार्टनर–नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव, निवासी–कोटेश्वर कॉलोनी, ग्वालियर

---प्रार्थी

बनाम

शिवहरे रोड लाईंस द्वारा दीपकचन्द्र शिवहरे पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शिवहरे, निवासी– गाधी नगर, ग्वालियर ---प्रतिप्रार्थी

//पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 15 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07/03/2019 पारित द्वारा अध्क्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 5501/2018/ग्वा./भू.रा.//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev. 632/2019/ग्वालियर/Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
12–6–2019	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 7.3.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	